

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 768 / प्र0अ0 / बजट / सिं0वि0 / आवंटन / कैम्प

दिनांक : 28 नवम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/1.1/11/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28475)/I/134328/2023, दिनांक 04.07.2023 द्वारा अनुदान सं0-20 के राजस्व लेखा के मुख्य लेखाशीर्षक 2701 एवं 2711 के विभिन्न मदों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल धनराशि ₹ 9900.00 लाख (रु0 निन्यानबे करोड़ मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वर्तन पर रखते हुए किया गया है, जिसके सापेक्ष पूर्व में आवासीय एवं अनावासीय भवनों, बाढ़ सुरक्षा कार्यों, नलकूप एवं लिफ्ट अनुरक्षण एवं नहरों, बांधों, झीलों एवं झीलों से सम्बद्ध नालों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत कुल ₹ 6171.50 लाख का आवंटन सम्बन्धित खण्डों को किया जा चुका है।

अतः पूर्व में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 3728.50 लाख के विरुद्ध वर्तमान में नहरों, बांधों, झीलों एवं झीलों से सम्बद्ध नालों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत ₹ 1760.00 लाख (रु0 सत्रह करोड़ साठ लाख मात्र) का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/लेखाशीर्षकवार/योजनावार/खण्डवार निम्नानुसार किया जाता है:-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	मद/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
क	20/2701-मध्यम सिंचाई, 17-नहरों, बांधों, झीलों एवं झीलों से सम्बद्ध नालों का अनुरक्षण, 101-रखरखाव और मरम्मत, 02-अन्य रख रखाव, 00-, 51-अनुरक्षण कार्य (20/2701-17-101-02-00-51)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, देहरादून	
1	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	20.00
2	सिंचाई खण्ड, देहरादून	90.00
3	सिंचाई खण्ड, कालसी	55.00
4	सिंचाई खण्ड, विकास नगर	97.50
5	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	25.00
6	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	30.00
7	सिंचाई खण्ड, पुरोला	50.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, देहरादून	367.50
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हरिद्वार	
1	अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, टिहरी	10.00
2	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	7.50
3	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	60.00
4	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्र नगर	75.00
5	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	95.00
6	सिंचाई खण्ड, रुड़की	70.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हरिद्वार	317.50
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, श्रीनगर	
1	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	40.00
2	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ	20.00
3	सिंचाई खण्ड, चमोली	15.00
4	सिंचाई खण्ड, थराली	40.00
5	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	45.00
6	सिंचाई खण्ड, दुगडडा	45.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, श्रीनगर	205.00

✓

क्र० सं०	मद/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
	मुख्य अभियन्ता परिकल्प (स्तर-1), रुड़की	
1	जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद	25.00
2	परिकल्प खण्ड, रुड़की	25.00
3	प्रशासन खण्ड रुड़की	25.00
	योग मुख्य अभियन्ता-परिकल्प (स्तर-1), रुड़की	75.00
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	
1	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	80.00
2	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	75.00
3	जमरानी बांध नि०ख०-2 (पी०आई०यू० जमरानी बांध के निवर्तन पर रखा जायेगा)	35.00
4	सिंचाई खण्ड, रामनगर	65.00
5	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	160.00
6	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	30.00
7	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	130.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	575.00
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, अल्मोड़ा	
1	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	35.00
2	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	25.00
3	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	50.00
4	सिंचाई खण्ड, कपकोट	30.00
5	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	30.00
6	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	40.00
7	सिंचाई खण्ड, धारचूला	10.00
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, अल्मोड़ा	220.00
	कुल योग	1760.00

(रु० सत्रह करोड़ साठ लाख मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/1.1/11/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28475)/I/134328/2023, दिनांक 04.07.2023 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:-

1. उक्त धनराशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम पुरानी देनदारियों का निस्तारण किया जाय तथा धनराशि उपलब्ध होने पर ही नई देनदारियां सृजित की जाय।
2. प्रश्नगत धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार किशतों में वास्तविक व्यय के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 आदि के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।



5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।
6. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किश्तों में किया जाय।
7. अवमुक्त आवंटित की जा रही धनराशि का पूर्ण उपभोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 768 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी-1 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर- I / II, देहरादून / हरिद्वार / श्रीनगर / हल्द्वानी / अल्मोड़ा / रुड़की।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता